

राजस्थान सेवा नियम 244(1) संशोधित 50(1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति बाबत।

दिनांक:-

आवेदन पत्र

1. नाम कर्मचारी.....
2. पिता का नाम.....
3. वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान.....
4. जन्म तिथि.....
5. प्रथम नियुक्ति तिथि.....
6. वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि.....
7. वरिष्ठ क्रमांक व अवधि.....
8. वर्तमान वेतन एवं वेतन श्रृंखला.....
9. 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि.....
10. सेवा निवृत्ति की तिथि.....
11. क्या कर्मचारी सेवा अवधि में निलम्बित रहा है यदि हां तो कब से कब तक तथा निलम्बित अवधि पेशन हेतु मान्य है अथवा नहीं.....
12. सेवा अवधि में बिना वेतन लिए अयकाश का विवरण.....
13. क्या कर्मचारी वर्तमान में निलम्बित है तो क्यों व किन कारण से
14. क्या कर्मचारी के विरुद्ध कोई 16 व 17 सीसीए, विभागीय जॉच, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि विचाराधीन है, यदि हां तो उसका विवरण उपलब्ध करावें.....
15. क्या कर्मचारी के विरुद्ध कोई बकाया राशि वसूली है यदि हां तो उसका विवरण उपलब्ध करावें.....
16. क्या कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी मामला विचाराधीन है तो उसका भी विवरण दें.....
17. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि.....
18. सेवा निवृत्ति चाहने की तिथि.....
19. सेवा निवृत्ति चाहने का कारण.....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अंकित विवरण सत्य है एवं स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति आवेदन को मेरे द्वारा निरस्त नहीं कराया जाएगा।

हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण का मिलान कार्मिक की सेवा अभिलेख से कर प्रमाणितकरण कर लिया गया है एवं कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति निरस्त नहीं कराया जाएगा।